संख्या-04/2021/706/एक-9-2021

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक अप्रैल, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्ष-2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख-04 जिला व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-07/14(बजट)-163बजट अनुमान-2021-22, दिनांक 08 अप्रैल, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में अनुदान संख्या-52 के लेखाशीर्ष-2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख-04 जिला व्यय के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में संलग्न तालिका के अनुसार धनराशि रू0 222271.63 लाख (मतदेय) एवं 1.00 लाख (भारित) अर्थात् कुल धनराशि रू0 222272.63 लाख (दो हजार दो सौ बाईस करोड़ बहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/ 2021, दिनांक 22.03.2021 में अंकित दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्ही कार्यो/मदो पर किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य प्रयोजन/कार्यो/मदों पर कदापि नहीं की जायेगी।

(2) व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध समय समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय किये जाने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्रदान कर दी जाय।

2- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 के अन्तर्गत दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-706(1)/एक-14-2021 तद्दिनांक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राजस्व अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-706/एक-9-2021, तद्दिनांक का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2021-22 (धनराशि लाख रू0 में)			
अनुदान सं0-52 लेखाशीर्षक-2029-भू-राजस्व-103-भू-अभिलेख-04-जिला व्यय			
मद सं0	मद का नाम	प्राविधान	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4
01	वेतन	164800.00	164800.00
02	मजदूरी	5.00	5.00
03	मंहगाई भत्ता	49440.00	49440.00
04	यात्रा व्यय	65.00	65.00
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.85	3.85
06	अन्य भत्ते	269.46	269.46
08	कार्यालय व्यय	58.00	58.00
09	विद्युत देय	40.00	40.00
10	जलकर/जल प्रभार	10.00	10.00
11	लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	10.00	10.00
12	कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	20.00	20.00
13	टेलीफोन	1000.00	1000.00
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	15.00
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.00	12.00
17	किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामिस्व	20.00	20.00
42	अन्य व्यय	0.01	0.01 (मतदेय)
		1.00	1.00 (भारित)
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00
45	अवकाश यात्रा व्यय	5.00	5.00
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	10.00	10.00
49	चिकित्सा व्यय	700.00	700.00
51	वर्दी व्यय	1.83	1.83
55	मकान किराया भत्ता	5000.00	5000.00
58	आउट सोंसिग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
59	एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/ नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	773.48	773.48
	योग	**222272.63**	**222272.63**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।